प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
लखनऊ।

सेवा में,

प्रबन्धक,
सेंट जेवियर स्कूल,अस्ती रोड,
बख्शी का तालाब,लखनऊ।

पत्रांक-आ0शु/ 8293 /2007-08 दिनांक-अक्टूबर नवम्बर 01 ,2007

विषय-प्राथमिक स्तर (कक्षा-1 से 5 तक) की अस्थाई मान्यता।

महोदय,

उक्त विषयक के संदर्भ में सूच्य है कि शासनादेश संख्या 984/15069010(7)/89 दिनांक 28 अप्रैल 1998 मे दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत उप बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी/क्षेत्रीय सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी की आख्या एवं संस्तुति के आधार पर जिला मान्यता समिति लखनऊ द्वारा आपके विद्यालय को प्राथमिक स्तर (कक्षा-1 से 5) तक की अस्थाई मान्यता वर्तमान शिक्षासत्र से निम्न प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है।

1. विद्यालय समिति सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत नवीनीकृत रहे।
2. प्रभूत/सुरक्षित कोष के निमित्त अपेक्षित धनराशि बैंक/पो0आ0 में जमा एवं अधोहस्ताक्षरी के पद नाम से बन्धक रहे।
3. विद्यालय का निजी भवन हो एवं प्रत्येक कक्षाओं के लिए उपयुक्त शिक्षण कक्षो/क्रीड़ास्थल की व्यवस्था मानक के अनुसार की जाय।
4. विद्यालय में प्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओं की ही नियुक्ति विभाग द्वारा निर्धारित वेतनक्रम में की जाय तथा वेतन भुगतान चेक के माध्यम से किया जाय।
5. अध्यापक/अध्यापिकाओं की नियुक्ति एवं निष्कासन से इस कार्यालय की पूर्वानुमति अवश्य प्राप्त की जाय।
6. विद्यालय में आवश्यकतानुसार काष्ठोपकरण/शिक्षण सामग्री/विज्ञान सामग्री/क्रीड़ा सामग्री की व्यवस्था की जाय।
7. विद्यालय में विभाग द्वारा निर्धारित दरों से अनुकूल शुल्क लिया जाय।
8. शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत पाठ्यपुस्तकों का ही प्रयोग किया जाय।
9. विद्यालय में शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जाय।

विद्यालय को अस्थाई मान्यता उक्त प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जा रही है कि प्रतिबन्धों की पूर्ति कर शासनादेश संख्या 1873/15069816 एस(7)/89 दिनांक 10 सितम्बर 98 के अनुसार (5वर्ष में) स्थाई मान्यता हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्तुत करें। मान्यता की किसी भी शर्त अथवा विभागीय आदेशों एवं निर्देशों के उल्लंघन की दशा में मान्यता समाप्त किये जाने का अधिकार विभाग को सुरक्षित होगा।

भवदीय

(राकेश कुमार श्रीवास्तव)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
लखनऊ।

पृ0सं0-आशु0लि0/ /07-08 दिनांक-उक्तवत्।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. जिला समाज कल्याण अधिकारी,लखनऊ।
2. जिला अल्पसंख्यक अधिकारी,लखनऊ।
3. जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,लखनऊ।
4. जिला विकलांग कल्याण अधिकारी,लखनऊ
5. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी,लखनऊ।
6. नगर शिक्षा अधिकारी/क्षेत्रीय सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी,लखनऊ।
7. कार्यालय गार्ड फाइल

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
लखनऊ।

Manyata

पंजीकृत

प्रेषक,

मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक),
षष्ट मण्डल, लखनऊ।

सेवा में,

प्रबन्धक,
सेन्ट जेवियर जू0हा0स्कू0,
बड़ेशी का तालाब, लखनऊ।

पत्रांक-आ0मा0/320/9453-1457/88-89: दिनांक: मार्च 25, 1989

विषय:- विद्यालय को जूनियर स्तरीय स्थाई मान्यता देने के सम्बन्ध में।

-=-=-=-

महोदय,

जिला मान्यता समिति, लखनऊ की संस्तुति के आधार पर आपके विद्यालय को जूनियर हाईस्कूल (कक्षा 6 से 8 तक) की स्थाई मान्यता 01 मई 1988 से प्रदान की जाती है।

विद्यालय में विभागीय नियमों एवं आदेशों की किसी प्रकार अवहेलना होने पर, शर्तों के प्रति शिकायत होने पर मान्यता निरस्त करने का अधिकार विभाग को सुरक्षित है। विद्यालय में प्रधानाध्यापिका सहित कुल पाँच अध्यापक/अध्यापिका, एक लिपिक एवं एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद मान्य हैं।

(हस्ताक्षर) 25/3/89
(रवि प्रताप वर्मा)
मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक),
षष्ट मण्डल, लखनऊ।

पृ0संख्या-आ0मा0/320/9453-1457/88-89: तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

01- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ को उनकी संस्तुति के आधार पर।
02- समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
03- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0।
04- समस्त उप विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0।
05- समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0।
06- समस्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, उ0प्र0।
07- शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0।
08- अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) शिविर कार्यालय, लखनऊ।
09- अपर/संयुक्त शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0, इलाहाबाद/लखनऊ।
10- सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद।
11- सचिव, उ0प्र0, बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
12- उप शिक्षा निदेशक (अर्थ/प्रा0) शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
13- प्राचार्य, राज्य शिक्षा संस्थान, उ0प्र0, इलाहाबाद।
14- रजिस्ट्रार, विभागीय परीक्षायें, उ0प्र0, इलाहाबाद।
15- अपर सचिव, क्षेत्रीय कार्यालय मा0 शिक्षा परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद।
16- उप सचिव, उ0प्र0 शासन, शिक्षा-6-अनुभाग, लखनऊ।
17- जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, लखनऊ।

(हस्ताक्षर) 25/3/89
(रवि प्रताप वर्मा)
मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक),
षष्ट मण्डल, लखनऊ।

प्रेषक,

अपर सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
उत्तर प्रदेश,
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद ।

<u>रजिस्टर्ड</u>

सेवा में

प्रबन्धक,
सेंट जेवियर्स जूनियर हाई स्कूल
बक्शी का तालाब, लखनऊ

पत्र संख्या मा०शि०प० मान्यता/इ/ 43

इलाहाबाद, दिनांक 5-4-1999

<u>विषय—आपका हाई स्कूल/~~इण्टरमीडिएट~~ परीक्षा के लिए नवीन/~~अतिरिक्त~~ (वर्ग/विषय) की मान्यता का प्रार्थना-पत्र ।</u>

महोदय,

शासन ने राजाज्ञा संख्या- 2008/15-7-48 2348/1997 दिनांक 25-7-97 द्वारा ~~मान्यता समिति एवं ... की संस्तुति के उपरान्त~~ इण्टरमीडिएट शिक्षा (~~संशोधन~~) अधिनियम, 1921 की धारा 7(4) ~~(क)~~ के अन्तर्गत आपके विद्यालय को बालक/~~बालिका~~ विद्यालय के रूप में परिषद् की 1999 की हाई स्कूल/~~इण्टरमीडिएट~~ परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ नवीन/~~अतिरिक्त वर्ग~~/विषयों में वित्त विहीन मान्यता दिये जाने का आदेश प्रदान किया है ।

सामान्य प्रतिबन्ध

(1) इस पत्र में अंकित वर्ग/विषय की नवीन 9वीं/~~11वीं~~ कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध से (जैसे अध्यापकगण, सज्जा, शिक्षण-सामग्री, प्रयोगशाला, भवन, पुस्तकालय, स्थान, प्रांगण, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति) तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन से जिला विद्यालय निरीक्षक/~~मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक (मा०)~~ को पूर्णरूपेण संतुष्ट कर उनसे लिखित अनुमति प्राप्त कर ली जाय । बिना उनकी लिखित अनुमति के संचालित कक्षा अमान्य व अनियमित होगी और इसके लिये संस्थाधिकारी ही स्वयमेव उत्तरदायी होंगे ।

(2) <u>इस आदेश-पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक/~~मण्डलीय उप-शिक्षा निदेशक (मा०)~~ से 9वीं/~~11वीं~~ कक्षा संचालित करने की अनुमति प्राप्त कर ली जाय, अन्यथा इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी ।</u>

(3) सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाय । इसके लिये सिंगल सीटेड डेस्क व चेयर्स ही स्वीकार किये जायेंगे ।

(4) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं से विभूषित अंशकालिक अध्यापकों/~~अध्यापिकाओं~~ की नियुक्ति नियमानुसार की जाय ।

(5) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/~~प्रधानाचार्या~~ की नियुक्ति की जाय ।

(6) नवीन कक्षाएं संचालित करने का समस्त व्यय संस्थाधिकारी स्वयमेव वहन करें ।

कृ० प० उ०

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्था द्वारा प्रेषित मान्यता सम्बन्धी विवरण में यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी ।

(ख) सन्दर्भित मान्यता को अंगीकार करने का दूसरा प्रस्ताव जो इस कार्यालयद्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 1. 9. 97 के क्रम-7 की शब्दावली के अनुरूप हो ।

(ग) प्राइमरी कक्षाएं सम्बद्ध /संचालित हैअथवा नहीं कीसूचना निरीक्षक के माध्यम से अविलम्ब प्रेषित करें ।

वर्ग व विषयों का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
हाईस्कूल साहि नवीन	हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत गणित, विज्ञान-1, सामाजिक विज्ञान, नैतिक शारीरिक समाजोपयोगी उत्पादक, एवं समाजसेवा कार्य	इतिहास

टिप्पणी—(1) कक्षा 9 में प्रवेश हेतु कम से कम 30 छात्र उपलब्ध होने तथा इस पत्र में अंकित समस्त प्रतिबन्धों (नियुक्तियों को छोड़कर) की पूर्ति होने के उपरान्त ही निरीक्षक/निरीक्षिका-इसका कक्षा संचालन की अनुमति प्रदान करें।

नोट:-मान्सा उसी तिथि से प्रभावी होगी जिस तिथि से कक्षाएं संचालित की जावेंगी ।

संलग्न- भवन विश्लेषण

भवदीय,

05-4-99

अपर सचिव।

3-4-99

पृष्ठांकन संख्या माई० बी० मान्यता/इ/ दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

(1) जिला विद्यालय निरीक्षक/~~मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक (मा०)~~, लखनऊ
(2) मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक। लखनऊ
(3) उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा निदेशालय, उ० प्र०, इलाहाबाद ।
(4) हाई स्कूल/~~इण्टरमीडिएट~~ परीक्षा, संस्थागत अनुभाग ।
(5) सचिव, मा०शि०प० मुख्यालय, इलाहाबाद।

अपर सचिव ।

बी० एस० यू० पी०—199 मा० शि० प०—21-1-87—10,000 प्रतियां (पी० डी०) ।

रजिस्टर्ड

प्रेषक,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

सेवा में,

प्रबन्धक,
सेंट जेवियर हाईस्कूल
बक्शी का तालाब, लखनऊ

पत्र संख्या : आई0 सी0 मान्यता/ 833 दिनांक 5-9- 200

विषय :—इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिए नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषय की मान्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन ने राजाज्ञा संख्या ई एम 3117/15-7-2003-45583(2003)/ दिनांक 1-8-2003 द्वारा इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 9(4) के अधीन आपके विद्यालय को बालक/बालिका विद्यालय के रूप में परिषद् की वर्ष 2005 की इण्टरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषयों में वित्तविहीन मान्यता इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा 7क क के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदान किया है।

सामान्य प्रतिबन्ध

(1) इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा 7क क के प्राविधानों के अन्तर्गत इस पत्र द्वारा नवीन/अतिरिक्त को प्रदत्त मान्यता की 11वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध की व्यवस्था शिक्षण व्यवस्था, साज-सज्जा, शिक्षण सामग्री, प्रयोगशाला, भूमि/भवन, पुस्तकालय, प्राभूत कोष, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति कर ली जाय तथा विद्यालय के अनुशासन एवं प्रशासन की व्यवस्था सुनिश्चित कर जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से परिषद् को अवगत करायें।

(2) इस मान्यता पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर संस्था द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद् कार्यालय को 11वीं कक्षा संचालित करने का विधिवत् लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय अन्यथा इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(3) मान्यता पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताधारी पात्र व्यक्ति को कार्य पर लगाया जाय।

(4) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या की नियुक्ति की जाय। यह प्रतिबन्ध केवल इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता पर ही प्रभावी होगा।

(5) इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता की नवीन कक्षायें संचालित करने का समस्त व्यय संस्थाधिकारी स्वयं वहन करेंगे तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा 7क क के समस्त प्राविधान यथावत् लागू होंगे।

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्थाधिकारी द्वारा मान्यता सम्बन्धी प्रस्तुत किये गये विवरण में यदि कोई सूचना एवं प्रमाण मिथ्या या गलत पाया जाता है अथवा तथ्य छिपाया जाता है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्थाधिकारी का होगा।

[क्र0 प0 उ0

(ख) प्रबन्ध तंत्र द्वारा इस आशय का पारित प्रस्ताव कि इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा 7क के प्राविधानों को बिना किसी शर्त के अंगीकार किया जाता है, तत्काल निरीक्षक के माध्यम से परिषद् को भेजा जाना अनिवार्य होगा। प्रस्ताव प्राप्त न होने की दशा में प्रदत्त मान्यता परिषद्/शासन द्वारा प्रत्याहरित कर ली जायगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्थाधिकारी का होगा।

(ग) प्रतिभूति कोष [जमानत] रुपया 5000/= विद्यालय के नाम जमा तथा निरीक्षक के पदनाम में बंधक कराकर प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से भेजें।

[घ] छात्र संख्यानुसार काष्ठोपकरण तथा 3 प्रयोगात्मक यंत्रों की व्यवस्था कर प्रमाण भेजें।

[ङ] शिक्षण सामग्री, विज्ञान उपकरण पूर्ण कर प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से भेजें।

[च] तीन अप्रशिक्षित अध्यापक को प्रशिक्षित कराया जाय।

[छ] विद्यालय में दो प्रयोगशाला का निर्माण मानक के अनुसार कराकर प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से भेजें।

प्रदत्त मान्यता का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
इण्टरमीडिएट वैज्ञानिक नवीन	हिन्दी	गणित, अंग्रेजी, जीवविज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान

टिप्पणी:- उक्त पत्र में अंकित सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति 6 (छः) माह के अन्दर किये जाने की आख्या एवं प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।

भवदीय,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

पृष्ठांकन संख्या:-- आई0 बी0 मान्यता/ दिनांक 200

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1--जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ
2--संभागीय मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, लखनऊ
3--संभागीय उप शिक्षा निदेशक, लखनऊ।
4--इण्टरमीडिएट परीक्षा अनुभाग को अभिलेख हेतु।
5--सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, मुख्यालय, इलाहाबाद।

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
क्षेत्रीय कार्यालय, इलाहाबाद।

पी0 एस0 यू0 पी0--71 मा0 शि प0--20-7-2002--10,000 (कम्प्यूटर)।